राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2)विभाग

क्रमांक–प. 5(18)कार्मिक/क–2/84 पार्ट जयपुर, दिनांक : 21.5.2019

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

विषय– राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 में संशोधन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 17.4.2018 के संबंध में स्पष्टीकरण ।

राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 में अधिसूचना दिनांक 17.4.2018 के अन्तर्गत निम्न प्रावधान विहित है–

6B. Submission of proof of Retirement.- A person who has retired or is retiring within forthcoming one year, after earning his/her pension on the basis of no-objection certificate (NOC) from the competent authority, shall be eligible to apply for the post but he/she shall have to submit proof of retirement to the appropriate selection agency,-

(a) before appearing in the main examination, where selection is made through two stages of written examination and interview;

(b) before appearing in examination where selection is made through written examination and interview;

(c) before appearing in written examination or interview where selection is made through only written examination or only interview, as the case may be."

उक्त प्रावधान के अनुसार सैनिक जो आगामी एक वर्ष के भीतर–भीतर सेवानिवृत्त हो रहा है, सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र(एन.ओ.सी.) के आधार पर अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा, किन्तु उसे समुचित चयन अभिकरण को सेवानिवृत्ति का प्रमाण, लिखित परीक्षा/मुख्य परीक्षा/साक्षात्कार जैसी भी स्थिति हो, से पूर्व देना होगा।

अधिसूचना दिनांक 17.4.2018 में किये गये प्रावधान के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों द्वारा सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन के पश्चात लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के समय तक सेवानिवृत्ति का प्रमाण चयन ऐजेन्सी के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाने के कारण बोर्ड/आयोग एवं नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा सैनिकों को नियमानुसार

नियुक्ति प्रदान नहीं की जा रही है। अतः उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों के लिये किये गए प्रावधान के बावजूद भी नियुक्तियों में इनको लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है जिसके कारण विभिन्न भूतपूर्व सैनिकों द्वारा उन्हें नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध के साथ ज्ञापन/प्रकरण इस विभाग में प्राप्त हो रहे हैं।

अतः कार्मिक विभाग द्वारा परीक्षण किया जाकर स्पष्ट किया जाता है कि जब किसी सैनिक द्वारा कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.4.2018 के तहत किसी पद हेतु आवेदन किया जाता है तो ऐसे भूतपूर्व सैनिक के संबंध में यदि उसका सेवानिवृत्ति आदेश जारी हो चुका है और उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें सेवानिवृत्ति की तिथि (चाहे भविष्यवर्ती ही हो) का स्पष्ट उल्लेख हो, तो लिखित परीक्षा/मुख्य परीक्षा/साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन जैसी भी स्थिति हो, की तिथि तक सेवानिवृत्ति आदेश प्रस्तुत कर दिये जाने पर उसे सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र माना जायेगा तथा इस आधार पर आवेदक को भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के लाभ देय होंगे। इस आदेश के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे पात्र अभ्यर्थियों का चयन कर, उनके सेवामुक्ति की तिथि तक कार्यग्रहण अवधि में शिथिलन प्रदान कर सकता है। यदि किसी कारणवश भूतपूर्व सैनिक कार्यग्रहण नहीं करता है तो ऐसी रिक्ति को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जावेगा और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी तथा तत्पश्चात ऐसी रिक्तियां व्यपगत (lapse) हो जायेगी।

अतः समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि विभिन्न सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्ति के संबंध में उपर्युक्तानुसार पालना सुनिश्चित करें।

(रोली सिंह)
प्रमुख शासन सचिव 2/5/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, राजभवन जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अध्यक्ष, राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
7. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।

उप शासन सचिव

18/2019